मानव अधिकार और सामाजिक न्याय

राजीव चौधरी

शोधार्थी

विभाग–स्नातकोत्तर

लोक प्रषासन

मगध विष्वविद्यालय, बोधगया

जिस प्रकार से भारत की सभ्यता एवं संस्कृति प्राचीन है, उस प्रकार से आज के आधुनिक युग की सभ्यता और संस्कृति में परिवर्ततन आया है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति मं निरंतर विकास होता आया है और हो रहा है, भारतीय संस्कृति में चार वर्ण (व्रहम्ण, क्षत्रीय, शुद्र) चार आश्रम (वाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास) राज्य के चार (जनसंख्या, भूमि, सरकार, सम्प्रभुता) प्रसिद्ध है, उसी प्रकार लोकतंत्र के चार सतम्भ है (स्वतंत्रता, समान्ता, बन्धुत्व एवं न्याय) राज्य और समाज की मुलभुत आवष्यकता है। भारत विष्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रधान राष्ट्र है, जिसकी विष्व मं अपनी एक अलग पहचान बनी हुई है, भारत एक समय गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ था, उस समय विष्व से न्याय का गुहार लगा रहा था, भारतीय वाषियों ने अपनी वहुमुल्य कुर्बानी देकर अपना स्मिता को बचाया, और उपनिवेषिक शासन व्यवस्था से स्वतंत्र हो गया, भारत में लोकतंत्र जब से बहाल हुआ तब से हमारे देष की प्रगति, औधौगिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में धड़ले से विकास हुआ। लेकिन, भारतीय समाज में कई बुराइयाँ भी रह गई जिसका उन्मूलन नही हो सका, भारतीय, सामाजिक व्यवस्था में, वर्ण, रंग जाति समुदाय क्षेत्रवाद आदि विषमता में उन्मूलन नहीं हुआ जहाँ तक इसमें बढ़ोत्तरी हुई लेकिन, पोलियों जैसी घातक वायरस को उन्मूलन करने में सफल रहा है, भारतीय लोकतंत्र में बहुतों से सामाज शास्त्रियों का इस पावन जमीं पर जन्म हुआ उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हो रहे सामाजिक बुराईयों को उजागर किया और उसमें उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली। लेकिन वह सिर्फ संवैधानिक मिला और वह वही तक रह गया, लेकिन सामाज के कुछ तबके के बड़ी वर्गों ने बुराईयों को बरकरार रखा और अपनी जुल्म उनपर करते रहे है, वह सम्प्रदायिक दंगा, नारियों के साथ शोषण, बलत्कार, किसी गरीब की सम्पत्ति को लूट लेना, जातीय, सम्प्रदाय, नरसंहार, जिन्दा जला देना, दफना देना, जाति सूचक का सम्बोधन करना, किसी को षिक्षा से वंचित रखना, राजनैतिक और प्रषासनिक न्याय न मिलना या देरी होना, किसान जैसे श्रमिको के ऊपर राजनीतिकरण करना, कई दृष्टिकोण से सामाजिक बुराई के रूप में देखा जा सकता है, उपरोक्त तथ्यों पर निन्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(1) आज बालिकाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है लेकिन आज भी वह अनेक कुरीतियों का षिकार है, ये कुरीतियाँ उनके आगे बढ़ने में बाधाएँ उत्पन्न करती है, "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ" अभियान के तहत फैलाई जा रही जागरूकता से तमाम कुरूतियों का खात्मा होगा। ऐसी अपेक्षा है। यह ऐसी कुरीतियाँ है जो देष के विकास में बाधा बनी हुई है।

Ph-D, **शोधार्थी** : राजीव चौधरी, विभाग–लोक प्रषासन, मगध विष्वविद्यालय बोधगया, बिहार, (भारत)

शोधनिर्देषक : डॉ0, रामलखन प्रसाद, सेवानिवृत, ऐसोसिएट प्रोफेसर, विभाग–राजनीतिकषास्त्र, मगध विष्वविद्यालय बोधगया, बिहार, (भारत)

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानी पत से कर के एक संदेष दिया है क्योंकि इस राज्य में बाल–बालिका अनुपात सबसे कम है। तमाम कानूनी कार्यवाई के बाद भी यहाँ कन्या भ्रूण हत्या के सर्वाधिक मामले आये है, वर्ष 2011 के जनगणा के अनुसार राष्ट्रीय बाल लिंगा अनुपात 914 है।

यह 1000 बेटो पर महज 830 बेटिया है, यह लगभग हरियाणा का सभी जिला आता है एक हिन्दी अखबार में यह प्रकाषित की गई है। क्या यह सामाजिक अपराध है? या न्याय समझा जाए? जबकि महिला कल्याण के संवैधानिक प्रावधान इन प्रमुख अनुच्छेद 15(1) में देखा जा सकता है।

अनुच्छेद :– 15(1), 15(3), 16(2), 23, 39(क), 39(घ), 39(ड़), 42, 47, 51(क)(ड़), 243(घ)(ड़), 243(घ)(4), 243(न), 243(न)4, के तहत महिलाओं को संवैधानिक महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और सांस्कृतिक विकास की आधारषिला रखी गई थी। फिर भी महिलाओं का सामाजिकता के साथ न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

(2) 40 साल के किासन राम नारायण कहां हार मानने वाला था, साल दर साल, फसले वर्बाद होती रही तब भी उसने खेती नहीं छोड़ी नुकसान के भरपाई के लिए तीन विगहा खेत बेच दी, तब भी उसने खेती नहीं छोड़ी, 40 साल का राम नारायण आज फिर खेत पर गया जिस दिन भारत जीत गया उसी दिन रामनारायण अपना फाईनल हार गया उसने फांसी लगा ली, पर लगता है कि रामनारायण टी.वी. नहीं देखा होगा जिसमें नेता बोल रहे थे, कि भूमि अधिग्रहण बिल से किसानों का विकास होगा और मुआवजे के ऐलान से राहत पहुँचेगी' श्रद्धांजलि, मुआवजा राषी किसी किसान को मिला भी तो वह 51 रूपया, किसी 100 रू., किसी को 150 से 200 रू., इस प्रकार किसी का चेक वाउन्स यह सरकारी शोषण है।

(3) हार्वसनः– धनीको का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भष्ट कर देती है।

(4) लॉस्कीः– जबतक सामाज में घोर आर्थिक विषमता रहेगी, तबतक कोरी राजनीतिक समानता से ना तो व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी, न उसका मनोवल उच्च होगा।

(5) न्याय के अंग्रेजी शब्द Justice है जो Just से बना है, जिसका अभिप्राय (षीघ्र) होता है, इस प्रकार व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक धार्मिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में वैधानिक रूप से शीघ्र अधिकार मिलना ही न्याय है, अगर, देरी और दरदर, भटकना पड़ता है वह अन्याय की क्षेणी में गिना जाता है।

(6) सालमण्ड ने कहा है कि ''न्याय कानून का अंतिम पथ प्रर्दषक है और कानून वह बुनियादी तकनीकी है, जिसके द्वारा न्याय की उपलब्धि हो सकती है।

(7) बाबा सहेब का स्पष्ट मत था कि ''व्यक्ति अपने ज्ञान ' बुद्धि और गुणो (सतकर्म)' से महान बनता है, न कि किसी कुल या जाति में जन्म लेने से।

(8) संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो यदि उसको माननेवाला अच्छे नहीं है तो जनहित नहीं होगा, यदि मानने वाले अच्छे हैं तो कमजोर विधान भी हितकारी हो सकता है।

(9) डॉ॰ राधा कृष्ण – ने कहा, जो गरीब लोग इधर–उधर भटक रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती और जो भुख से मर रहे है जो निरंतर कचोटने वाली गरीबी के षिकार है वे संविधान या विधि का गर्व नहीं कर सकते।

(10) मानव अधिकार– घोषणा पत्र 10 दिसम्बर 1948 के अनुच्छेद (1) में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, समान रूप से सम्मान का अधिकारी है। उनके पास अकल भी है और जमीर भी एक दूसरे के साथ उनको भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए।

(11) इसमें कोई संदेह नही है कि व्यवहार में चतुवर्ण्य का संबंध वस्तुतः मालिक और नौकर का था, ब्रह्मण, क्षत्रिण और वैष्यों के आपसी संबंध भी संतोषजनक नहीं थे, फिर भी मिलकर कार्य करने में सफल हुए, ब्रह्मण ने क्षत्रियों की खुषामद की और दोनों ने वैष्य को जीवित रह सके लेकिन तीनों न उसके सहारे जीति रह सके लेकिन तीनों शुद्रों का पददालित करने के लिए सहमत हो गय उस धन संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कही ऐसा न हो कि वह तीनों वर्गों पर निर्भर ही न रहे, उसे विद्या प्राप्त करने से रोका गया की कही ऐसा न हो कि वह अपने हितों के प्रति सजह हो जाए। उसके लिए शस्त्र धारण करना निषिद्ध था कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी सत्ता के विरूद्ध विद्रोह प्राप्त करने का साधन प्राप्त कर ले।

(12) हमारे चिंतन का मुलाधार मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य को उसके मानवीय अधिकार उपलब्ध करा देना हमारी नौतिक जिम्मेदारी है, शास्त्रों ने मानवीय अधिकार ही छीन लिये, इस लिए उनको न कारना जरूरी है।

(13) स्कूल में दाखिलाः लेने पर जूतों की जगह बाबा साहेव को बैठना पड़ता था।

(14) माँ बीमार पड़ी– इलाज करने कोई बैध चिकित्सक नहीं आया।

(15) ऊँचा पद तो मिला परंतु अपमान पीछा नहीं छोड़ा।

(16) प्रोफेसर आम्वेडकरः को घड़ा छूने पर हंगामा।

(17) पृथ्वी पर ब्रह्मण को देवता कहा गया था, उन्हें 'भू राजस्व से शासवत मुक्ति प्राप्त थी और छोटे–छोटे से पाप के लिए ब्रह्मण अस्वध्य था।

(18) मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक काल में शुद्रों और अछूतो को षिक्षा समानता और स्वतंत्रता के मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं थे।

(19) मनुष्य में एक चिंगारी मौजूद है। उसे जगत का और जगत के सर्वजनहार का ज्ञान हो जाए तो एक आदमी ऊँचा और एक नीचा मालूम नहीं हो सकता।

(20) व्यक्ति के अच्छे जीवन से ही सामाजिक जीवन ऊँचा होता है। जिसके पास कम शक्ति हो शक्ति वालों को उसे ऊँचा उठाना चाहिए, सामाज में उसे नीचे के भेद मिटा देने चाहिए।

(21) जब जनता एक हो जाते हैं तो उसके सामने जालिम सच्चे जालिम हुकुमत भी नहीं टीक सकती।

(22) अस्पृष्यता हिन्दू–धर्म पर एक कलंक है वह धर्म के बहाने चलने वाला एक ढ़ोंग है। हमें इस मिटाना ही पड़ेगा।

(23) जिसने ईष्वर को पहचान लिया, उसके लिए तो दुनियाँ में कोई अछूत नहीं है, उसके मन में ऊँच–नीच का भेद नहीं है।

(24) मुझे यकीन है हम लोग तबतक भारत में एक मुक्त समाज तैयार नहीं कर सकते है, जबतक एक वर्ग द्वारा दूसरे का दमन या उसके साथ बदसलूकी जारी है।

(25) पेषवा के शासन में महाराष्ट्र में सार्वजिनक सड़कों पर कोई अच्छूत चल नहीं सकता था, अगर उधर से कोई बिन्दु आ रहा होता था, क्योंकि अछूत की छाया पड़ने से हिन्दू अछूत हो जाता था।

(26) गलती से छू जाने पर कोई हिन्दू अषुद्ध न हो जाए, इसलिए काला धागा गला में बांधना पड़ता था, ताकि उसकी पहचान हो सके।

(27) पेषवा की राजधानी पूना में अछूतों को कमर से एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिसमें उसे वह रास्ता साफ–साफ करना पड़ता था, ताकि कोई हिन्दू उधर से गूजरे तो वह अषुद्ध न हो।

(28) पूना में अच्छूतों के गले में एक मिट्टी का वर्तन बाँध कर लटकाना पड़ता था और वह अपना थूक उसी में थूकता था, ताकि उसका थूक जमीन पर गिरने के कारण उधर से गुजरने वाले हिन्दू अषुद्ध न हो जाए।

(29) गाय नहीं वराह भी अवतार है, गोमांष नहीं खाना है तो सर्वभवादी (ब्रह्मण) मानसिकता है, सूअर (बराह) को भी हिन्दू धर्म में एक भगवान अवतार बताया गया है लेकिन सूअर खाते हैं, लेकिन इनको सूअर बचाने की कोई मंषा नहीं है। मुसलमान सूअर नहीं खाते हैं तो राजनीतिकरण किया सम्प्रदायीकरण करने की मंषा है।

(30) वर्ष 1987 पुलिसिया नरसंहार और आदालती न्याय हाषिमपुरा से उठाकर मकमनपुर लाए गये लोगों को सामूहिक परसंहार।

(31) बुद्धराम कडाती परस्तर के करोदुल में रहते हैं, कम्पनी लगाने वाले उनके खेत से अयस्क निकाल लेते हैं और जमीन बंजर बन जाता है।, उसमें खेती हो नहीं सकती है, कम्पनी के जो पानी निकलती है उसमें इनता औद्योगिक रासायनिक केमीकल मिला है कि वहाँ के लोग उसे अपनी पीने या अन्य काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जमीन का मुआवजा मिला भी तो विचौलिया के माध्यम से वह भी काफी समय बीत जाने के बाद और राषि में कटौती यह व्यवस्था अभिकायम है।

(32) अजीबों गरीब ग्रामीण जनता के साथ जो बैंक कर्मी विचौलिया मिलकर किसानों के साथ कर रहे हैं वह लोन दिलाता है और पूरा पैसा भी नहीं देता है और वह किसानों के साथ में शोषण करते हैं।

(33) शादी समारोह में दो मषाल लिए 16–17 वर्ष लड़का कपकपाती सर्दी में वह झुक कर स्वागत मुद्रा में खड़ा है अर्धनंगा, मालिक उसके मजदूरी 3000 रुपया शादी पार्टिवाला से लेता है और वह उसे 600–700 रुपया देता है। उसे गर्मी लाने के लिए देषी शराब पिलाया जाता है। इस तरह आज समाज में शोषण हो रहे है।

(34) शंकर विगहा का अनकहा दुःख, यह ऐसी मार्मिक घटना है जिसके बारे में आजतक कोई बता नहीं पाया 34 दलितों को नरसंहार कर दिया जाता है और नरसंहार करने वाले को जहानाबाद का जिला न्यायालय से बरी कर देता है, गवाह के अभाव में आपका न्याय ने मारा है, निराला के लेखनि न्याय की पात्र है।

(35) नामगुम हो जाएगा, निरुपमा, गीतिका और गीतांजली महज कुछ नाम नहीं है। यह वह नाम है जो वर्षों पहले सबके दिमाग पर रखी है या इन्हें इंसाफ दिलाने के नाम पर कैण्डल मार्च निकाले जा रहे थे। जिनका आज न्याय सरकारी फाइलों में दबकर रह गये है।

(36) भारतीय लोकतंत्र के तानाषाही और एक प्रकार के पूजा में बदल जाने के खतरे को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भी आग्रह किया था। भारत में लोकतंत्र जहाँ लम्बे समय से नहीं रहा वहाँ इस बात से संभावना है कि तानाषाही आ जायेंगे ये भी संभव है कि मौजूदा लोकतंत्र अपने बाहरी स्वरूप को कायम रखे लेकिन वास्तव में तानाषाही बन जाए इस महान राजनीतिषास्त्री और समाजषास्त्री का भविष्यवाणी कुछ दिया था।

(37) सूचना के अधिकार कानून के बाद से ही भारतीय शासन और प्रषासन को दो गुणों में बताकर देखा जाने लगा है, पहला सूचना के अधिकार के पूर्व का अंधकार का युग दूसरा सूचना के अधिकार का उजाले का युग इन दो युगों का फर्क साफ महसूस किया जा सकता है कि जनता का नियंत्रण और निगरानी शासन व्यवस्थायें बढ़ी है। जिसे एक मजबूत होता लोकतंत्र दिखाई पड़ता है।

धारा 4 को सही रूप में लागू कर दे तो लोगों को सूचना माँगने की नौबत ही नहीं आयेगी और सूचना माँगकर अधिकारियों को तंग कर और ब्लैकमेल करने जैसे बाते स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बाते स्वतः ही समाप्त हो जायेगी लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उल्टा इस कानून को वह कमजोर करने की कोषिष की गई है, इसकी संसोधन करने के प्रयास लगातार जारी है।

(38) असम, पष्चिम बंगाल, झारखण्ड और ओडिशा की गरीब औरतें जानवर बच्चे भी कम कीमत पर खरीदकर पष्चिम उत्तर प्रदेष, हरियाणा और पंजाब ले जाई जाती है, इस मानवीय व्यापार में दलाल तंत्र भी सक्रिय है। तीन महीने पहले विधवा हो चुकी रूवीना को उसकी ससुरालवालो ने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वह मोलकी है। (मोलकी का साहित्यिक अर्थ होता है।) वह वस्तु जिनका दाम चुकाया गया हो, इस लिए खरीदी हुई औरतों को मालकी या (पारो के नाम से पुकारा जाता है।

साल 2011 के सूचकांक से हरियाणा की 72 फीसदी ग्रामीण जनंसख्या में 60 फीसदी महिलाओं सहित साक्षर है, पास का गुड़गाँव शहर सूचना और तकनीक का गढ़ है, मारूती सुजूकी सहित कई ऑटोमोबाइल्स उद्योग यहाँ पर है। लेकिन यह केवल सिक्के का एक पहलू है। राज्य की 70 फीसदी जनंसंख्या खेती से जुड़ी हुई है। इसमें अधिकांष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मानव सषक्तिकरण संख्या के संभावक और बन्धुत्वसकरी उन्मूलन स्वयंसेवी संगठन के संचालक सफीकउर रहमान कहते हैं कि यह रिवाज इस इलाके के इतिहास से जुड़ा है, उत्तर भारत में हरियाणा, शुरू से युद्ध भूमि रहा हैं यहाँ आभूषणों के लूट के साथ महिलाओं और संपत्ति पर भी युद्ध विजेताओं का दाबा रहा है। नेषल क्राईम रिकॉर्ड व्यूरो के मुताबिक 2013 से 30 साल तक की 22.500 से ज्यादा किषोरियों और महिलाओं का शादी के लिए अपहरण किया गया है। ब्यूरों के मुताबिक हरियाणा।

(39) पंजाब और पष्चिम उत्तर प्रदेष में विवाह योग्य लड़कियों का माँग मानव तस्करी गिरोह के द्वारा संगठित होने पर इषारा करती है। भागलपुर की रजिया कई बार बिक चूँकि रजिया को पता नहीं कि उसके बिकने की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसे चौदह साल उम्र में बिहार से लाकर किसी राजस्थानी को बेचा गया, यह भी विचारणीय है कि आखिर क्यों आज अधिकांष हिन्दी लेखक सुरक्षित इलाकों का ही लेखन है न वह सामाजिक सत्ता संरचना से सीधे मुठभेड़ की मुद्रा में है और नहीं धार्मिक सत्ता संरचना से।

(40) मेक इंडिया साकार होने हैं, दुनिया में कोई भी देष अब तक प्रतिस्पर्धी उत्पादक देष नहीं बन सका है। जबतक कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सरकार और उद्योग जगत के बीच आपसी सहयोग न रहा हो, सरकारी विभागो को ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे देष में व्यापार करना आसान हो, लेकिन इस सप्ताह का ताजा समाचार पढ़ने पर पता चला होगा कि फूड कम्पनियाँ आज कितना जानलेवा होते जा रहा है इसका अंदाज तो सरकार के पास नहीं है, तो आम अन्धी जनता के पास क्या हो सकता है, यह आने वाला वक्त एक प्रवासी के रूप में भेंट चढ़ जाने की संभावना व्यक्त की जा सकती है तो प्रष्न उठता है कि क्या मेक इन इण्डिया यह सफल हो पायेगा या असफल ही रहेगा यहाँ की प्रषासनीक और राजनीतिक व्यवस्था भारतीय जनता को क्या न्याय दिला पायेगा।

निष्कर्षः–

उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान देकर व्यक्त किया जा सकता है कि भारतीय सामाज में जिस प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी देखती है। भारत में प्रत्येक मिनट में कुरुरता पूर्वक और बर्रबर तरीके से साधारण महिला बच्ची, दलित समुदाय के साथ ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उनका न्याय सामाजिक तरीके व्यक्ति प्रषासनिक तरीके से सरकार दिला पायेगी। यह बहुत ही बड़ा प्रष्न सूचक खड़ा कर देता है। आज मानव के साथ में अमानवीय व्यवहार किये जा रहे हैं, घर में फांसी लगा देना जिन्दा जला देना, मर्डर हत्या, आदि रूपों में यह घटना देखी जाती है, जो गरीब वर्ग के होते हैं, उनके लिए मिडिया भी उनके समाचार को नहीं प्रमुख पन्नों पर छापती है और ना ही प्राइम टाईम का समाचार बना पाती । इन तमाम बिन्दुओं को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि सभी मानव का अधिकार एक समान जीने का प्राकृति ने दिया है वह जाति में जन्म नहीं लेता। वह मानव जाति में जन्म लेता है, इसलिए समानता बहुत जरूरी है तभी सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित वर्ष 61, अंक : 05, पृ0–52 मार्च 2015 पेज – ..... पेज – .....
2. दलित दस्तक, अप्रैल 2015 पृ0– 37 , N.D.T.V रविष कुमार
3. लोकतंत्र और सामाजिक न्याय, यूनिवर्सिटी पब्लिकेषन नई दिल्ली, 2009, पृ0 – 17,37,73,46,173
4. मैं अम्बेडकर बोल रहा हूँ, प्रभात पेपर वैकस प्रथम संस्करण–2013 पृ0–41ए10ए12ए13ए23
5. आधुनिक भारत के निर्माता, भीम राव अम्बेडकर डब्लयू, एन कंवेर पंचय संस्करण 2013 प्रकाषन विभाग, नई दिल्ली– पृ0– 2, 3
6. मैं पटेल बोल रहा हूँ, प्रकाषक प्रभात पेपर वैकस, संस्करण प्रथम 2014 पृ0– 39,40,41,33,32
7. जाति भेद का विजनाष, अम्बेडकर प्रकाषक सम्यक प्रकाषन नई दिल्ली पृ0–31,39
8. तहलका 15 अपैला 2015 वर्ष 7 अंक 7 दिल्ली पृ0– 18,19,35,49,66
9. तहलका 15 मार्च 2015 , पृ0–4,58,59
10. शुक्रवार पत्रिका वर्ष 8, अंक 11–1–15 जून 2015, पृ0–13,17,48,50,63
11. इण्डिया टुडे 25 मार्च 2015, पृ0–25